# अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 01 / 2017–18 / स्था / अ.अ. / लोस्वायांवि. / बिलासपुर / 2017 दिनांक 16.01.2018

## संक्षिप्त विज्ञापन

बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़ जिले के (बैकलॉग / केरिफारवर्ड) हैण्डपंप तकनीशियनों के निम्नानुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 20.02.2018 को सायं 05:00 बजे तक आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

| क्र. | जिला | कुल पद | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | | अनारक्षित | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | महिला | मुक्त | दिव्यांग | महिला | मुक्त | दिव्यांग | महिला | मुक्त | दिव्यांग | महिला | मुक्त | दिव्यांग |
| 1 | बिलासपुर | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
| 2 | कोरबा | 8 | 0 | 1 | 0 | 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | रायगढ़ | 15 | 0 | 2 | 0 | 02 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 01 | 0 |
| 4 | जांजगीर–चांपा | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | मुंगेली | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | **योग** | **38** | **01** | **10** | **0** | **03** | **13** | **0** | **1** | **07** | **0** | **0** | **3** | **0** |

उपरोक्त पदों से संबंधित अन्य जानकारी एवं आवेदन–पत्र का प्रारूप विभाग के वेबसाईट http://www.cgphed.nic.in/ पर देखा जा सकता है। साथ ही संबंधित जिला के जिला प्रशासन अधिकारी की वेबसाईट (http://www.bilaspur.gov.in/) एवं (http://korba.gov.in) एवं (http://raigarh.gov.in) एवं (http://janjgir-champa.nic.in) तथा (http://cg.nic.in/mungeli) पर देखा जा सकता है।

अधीक्षण अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)

अधीक्षण अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)

# विज्ञप्ति प्रारूप

हैण्डपंप तकनीशियन के रिक्त बैकलॉग/केरीफारवर्ड पदों को विभागीय सेवा भर्ती के नियमानुसार सीधी भर्ती के तहत निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पुरूष एवं महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :–

**आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : – 20.02.2018**

**हैण्डपंप तकनीशियन के बैकलॉग पदों में सीधी भर्ती हेतु बिलासपुर संभाग में कुल रिक्त पद –**

| क्र. | जिला | कुल पद | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | | अनारक्षित | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | महिला | मुक्त | दिव्यांग | महिला | मुक्त | दिव्यांग | महिला | मुक्त | दिव्यांग | महिला | मुक्त | दिव्यांग |
| 1 | बिलासपुर | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
| 2 | कोरबा | 8 | 0 | 1 | 0 | 01 | 03 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | रायगढ़ | 15 | 0 | 2 | 0 | 02 | 06 | 0 | 01 | 03 | 0 | 0 | 01 | 0 |
| 4 | जांजगीर–चांपा | 5 | 01 | 03 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | मुंगेली | 5 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **योग** | | **38** | **01** | **10** | **0** | **03** | **13** | **0** | **1** | **07** | **0** | **0** | **03** | **0** |

यदि चयन प्रक्रिया में उपयुक्त महिला आवेदिका के चयन न होने से रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें, जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है।

उपरोक्त पदों की भुतपूर्व सैनिक एवं विकलांग पदों पर होरिजेंटल (समस्तर) आरक्षण मान्य किया जायेगा, जिसकी पूर्ति संबंधित श्रेणी के अभ्यार्थियों से की जायेगी। उक्त वर्ग के अभ्यार्थियों की अनुउपलब्धता होने पर उसी श्रेणी के (बिना वर्ग के) अभ्यार्थियों से उसकी पूर्ति की जावेगी।

**विभागीय नियम एवं पाठ्यक्रम :–**

**नियम एवं शर्तें :–**

1. **वेतन मान** :– हैण्डपम्प तकनीशियन की नियमित वेतनमान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत पे बेण्ड लेवल 05 के तहत रूपये 22400 प्रतिमाह तथा छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता देय।

2. (अ) **शैक्षणिक योग्यता** :– (हैण्डपंप तकनीशियन पद हेतु) :– हायर सेकेण्डरी (10+2) या परीक्षा उत्तीर्ण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) से फिटर ट्रेड या मेकेनिकल ट्रेड में या मोटर मेकेनिक, ट्रेक्टर मेकेनिक, आटोमोबाईल मेकेनिक, मशीनिष्ट का 02 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। फिटर ट्रेड को प्राथमिकता दिया जावेगा।

   छत्तीसगढ़ राज्य गठन पश्चात् शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य का होना चाहिए एवं छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य का भी मान्य होगा। यदि छत्तीसगढ़ का काई छात्र वर्ष 2000 में तत्कालीन मध्यप्रदेश क्षेत्र में अधययनरत थे उनके परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष 2002–03 तक का प्रमाण–पत्र तत्कालीन मध्यप्रदेश का मान्य किया जावेगा।

(ब) **पात्रता की शर्तें :–**

1. आवेदक/आवेदिका को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तथा मूल निवासी प्रमाण–पत्र तहसीलदार/नायाब तहसीलदार स्तर से जारी होने पर ही मान्य किया जावेगा।
2. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
4. छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी)

3. **आयु सीमा** :– दिनांक 01.07.2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो एवं महिला उम्मीदवारों हेतु 45 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के लिए समस्त छूट सहित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों हेतु 55 वर्ष होगी।

**उच्चतम आयु सीमा में छुट :–**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छुट रहेगी:–

(3) एक (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(3) एक (2) यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–7–26–93/1 आ.प.दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(3) एक (3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कन्टिनजेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(3) एक (4) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, काम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण :–** छटनी किये गये शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा से मुक्त किया गया है।

(3) एक (5) विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला आवेदिका हेतु उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष रहेगी।

(3) एक (6) आरक्षित कोटे की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला आवेदिका हेतु उच्चतम आयु सीमा 55 वर्ष रहेगी।

(3) एक (7) उपरोक्त (3) एक (5) एवं (3) एक (6) में वर्णित तलाकशुदा महिला को तलाक के संबंध में न्यायालय या जाति रिवाज के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा परित्यकता महिला को राजस्व अधिकारी जो तहसीदार स्तर से कम का ना हो, का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित महिला को विवाह के पश्चात् उनके पति ने औपचारिक रूप से तलाक प्राप्त किए बिना छोड़ दिया है और उसे उसके पति से कोई गुजारा भत्ता भी प्राप्त नही हो रहा है।

(3) एक (8) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(3) एक (9) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमाक एफ–1–2/2002/1/3 दिनाक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी जिन वर्गो की पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(3) एक (10) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होम गार्ड) एवं अनायुकत अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

(3) दो (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) दो (2) आदिमजाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) दो (3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/18/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

**टीप :–** (1) बिंदु क्रमांक 3 (एक) में लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

**उदाहरण :–** यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ ग्रीन कार्डधारक तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जायेगी। ग्रीन कार्ड अथवा अंर्तजातिय विवाह के निर्धारित छूट नही दी जायेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक को तो उन्हें अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजातिय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए दो वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंर्तजातिय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नही दी जायेगी। समस्त छूट के पश्चात् उम्मीदवार की आयु अर्धवाषिकी पूर्ण न करता हो।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

(4) आवेदन पत्र के साथ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करना होगा।

(5) इस पद हेतु आयोजित परीक्षा में आपके आवेदन के आधार पर आपको सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु नियुक्ति तभी की जायेगी जब आप विज्ञापन की शर्तो एवं विभागीय नियमों के आधार पर पात्र होंगे। अतः आवेदक/आवेदिका आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कतई नहीं होगा कि आवेदक/आवेदिका को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त क्र उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

(6) (अ) जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र।

(6) (ब) हाईस्कूल/हायर सकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक/आवेदिका ने उत्तीर्ण किया है।

(6) (स) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक/आवेदिका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्राधिकारी का प्रमाण पत्र (यदि इस आधार पर कोई रियायत चाही गई हो) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अस्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के भीतर की अवधि का ही मान्य किया जावेगाा। साक्षात्कार के समय स्थाई जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

(6) (द) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों/आवेदिकाओं को तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(6) (य) उपरोक्त क्रंडिका 3 एक (1), 3 एक (2), 3 एक (3), 3 एक (4), 3 एक (5), 3 एक (6), 3 एक (7) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए नियाकता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

(6) (र) कंडिका 3 दो (1) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए ग्रीन कार्ड।

(6) (ल) कंडिका 3 दो (2) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/ सब–डिवीजन मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।

(6) (व) कंडिका 3 दो (3) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिए "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र–छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मण्डल राज्य शासन के उपकम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके निजी उपक्रम की सेल में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत आवेदक/आवेदिका अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सीधें अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर को भेज सकते है, परन्तु इसके पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे विभाग को भेजने के लिए निवेदन भी कर देना चाहिए, जिसकी प्रति आवेदक/आवेदिका को नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् यदि विभाग को 01 माह के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराया जाता है तो विभाग द्वारा यह मान लिया जायेगा कि नियोजक को कोई आपत्ति नही है।

4. **चयन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–**

(1) चयन प्रकिया हायर सेकेण्डरी/(10+2) उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र में प्राप्तांक के 50% तथा आई.टी.आई. में प्राप्त अंको के 50% के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार कर वरिष्ठता के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा।

(3) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हे प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(4) चयन हेतु अभ्यर्थी की प्रात्रता/अप्रात्रता के संबध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर को होगा।

(5) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।

(7) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तो के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(8) यह नियुक्ति बिलासपुर संभाग के (बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ़) जिले के लिए है अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर बिलासपुर संभाग के उपरोक्त जिलों में पदस्थापना दी जावेगी।

(9) चयन के लिए अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

5. **आवेदन–पत्र भरने की जानकारी :–**

(1) प्रत्येक आवेदक/आवेदिका को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें।

(2) रोजगार और नियोजन/समाचार पत्र में प्रकाशित की आवेदन पत्र की कतरन या उसकी छायाप्रति में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

(3) यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदार आवेदक ही होगा। तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये, आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

(4) गलत जाति प्रमाण पत्र देने या आवेदन पत्र में जाति संबंधी गलत प्रविष्टी करने या अन्य त्रुटि होने पर विभाग, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा।

अधीक्षण अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)

## हैण्डपंप तकनीशियनों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

अधीक्षण अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर (छ0ग0)
बहतराई रोड, गीतांजली सीटी फेस–02 कालोनी के पास
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

हाल ही का पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ चस्पा कर स्वप्रमाणित करें

1. आवेदित पद का नाम : .....
   जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है : .....
2. आवेदक/आवेदिका का नाम (उपनाम सहित) : .....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) : .....
4. जन्म तिथि : (अंकों मे) : .....
   (शब्दों में) : .....
5. वर्तमान पता : .....
6. स्थायी पता : .....
7. 01.07.2017 को आयु : वर्ष..... माह..... दिन.....
8 (अ) यदि आवेदक/आवेदिका शादीशुदा है : .....
   (1) विवाह की तिथि : .....
   (2) जीवित बच्चों की संख्या : .....
8 (ब) 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् : .....
   जन्म हुये बच्चों की संख्या

9. अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग हो तो उसका नाम लिखें : .....
   (आवेदक/आवेदिका द्वारा स्पष्ट से अंकित किया जावे कि किस संवर्ग के अंतर्गत आते हैं : .....
   तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)

10 रोजगार कार्यालय का नाम : .....
   पंजीयन क्रमांक : ..... दिनांक .....
   नवीनीकरण की तिथि : .....

11. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्रों, अंक सूची की) सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें।

| क. | परीक्षा का नाम | संस्था/बोर्ड/वि.वि. | उत्तीर्ण करने का वर्ष | विषय | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हाईस्कूल | | | | | | | |
| 2. | हायर सेकेण्डरी (10+2) | | | | | | | |
| 3. | आई.टी.आई. से 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त उत्तीर्ण | | | | | | | |
| 4. | अन्य प्रमाण पत्र | | | | | | | |

12. क्या विकलांग/भूतपूर्व सैनिक है : .....
    (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र जो सत्यापित हो प्रतिलिपि संलग्न करें)
13. जिले का निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो : .....
    (निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)
14. स्काउट गाईड/एन.सी.सी. उत्तीर्ण : .....
    (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें) : .....

15. क्या स्थानीय बोली आती है, यदि हॉ तो बोली का नाम लिखिये : .....

16. अन्य राज्यस्तरीय खेलकुद/अन्य विषय अन्तर्गत प्रमाण–पत्र। : .....

## प्रमाण–पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है। यदि जानकारी असत्य पाई गई तो मेरा आवेदन/उम्मीदवारी अथवा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

स्थान : .....

दिनांक : .....

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

नाम .....

संलग्न प्रमाण–पत्रों का विवरण :

(आवेदन में चाही गई समस्त प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10